UPBJ240006332024

न्यायालय, सिविल जज, जू0डि0/जे0एम0, नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी– एकलव्य सरोज(उ0प्र0 न्यायिक सेवा)–यू.पी.03740

दाण्डिक वाद सं0–500/2024, मु0अ0सं0 696/2023

सरकार बनाम रणजीत सिंह।

धारा–504,506 भा.दं.सं.

थाना–नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

24–07–2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादी मुकदमा की ओर से अन्तर्गत धारा–320 दं0प्र0सं0 की प्रार्थना पत्र अ–10 प्रस्तुत किया गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अ–10

वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अ–10 अन्तर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. समर्थित शपथपत्र ब–11 इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी/वादी व अभियुक्त रणजीत सिंह के बीच आपसी समझौता हो गया है। इस कारण से प्रार्थी वाद उपरोक्त को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उक्त वाद को धारा 320 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निस्तारित किए जाने की याचना की गई है।

प्रार्थनापत्र अ–10 विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिट किया गया है तथा कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण शमनीय धाराओं में पंजीकृत है। विधिसम्मत आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की शिकायत पर अभियुक्त रणजीत सिंह के विरूद्ध मु0अ0सं0–696/2023 अन्तर्गत धारा 504,506 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर नियत है। इस स्तर पर वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. वाद निस्तारित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि आरोप अन्तर्गत धारा 504,506 भा.दं.सं. शमनीय प्रकृति का है, तदनुसार धारा 320 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अ–10 स्वीकार किया जाता है। वर्तमान वाद अन्तर्गत धारा 320 दं0प्र0सं0 नियमानुसार निस्तारित किया जाता है। अभियुक्त रणजीत सिंह को वर्तमान प्रकरण में धारा 504,506 भा.दं.सं. के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज, जू0डि0/जे0एम0
नजीबाबाद, बिजनौर।